न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 41/2020 (2020/00120) दर्ज दिनांक 08.06.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. उदयराम पिता बालु जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. गणेश पुत्र बालु जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरा पिता नारायण जाटनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. उदयराम पिता गणेश जाटनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. प्रकाश पिता गणेश जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. बदामी पिता गणेश जाटनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. श्री नीमादेव स्थान जरिये पुजारीनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मधु पिता जवाहरमल जाटनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पिता जवाहरमल जाटनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. मेताबी बेवा जवाहरमल जाटनिवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा लाखोला जरिये शाखा प्रबंधक
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री अरविंद चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–08.01.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोलातहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1235 रकबा 0.41 हे0, आराजी संख्या 1240 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.45 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 43 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075से 2078 संलग्न हैं।प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया [illegible] को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी [illegible] बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश [illegible] विपक्षी संख्या 9 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बद [illegible] जाती है। प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

1.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाखोला पटवार हल्का लाखोला तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1235 रकबा 0.41 हे0, आराजी संख्या 1240 रकबा 0.04 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.45 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 43 पर दर्ज होकर स्थित हैं।भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर. टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.18 16:35:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner